न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्याः 297/2022 दायर दिनाँक 20.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. बुधराज पुत्र सुरजमल, जाति सोनी, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

उपस्थितः—

1. श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 21.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 704 रकबा 0.0800 हैक्टर बारानी उतम वाके सुद्रासन स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी गलती से राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त भूमि आबादी के पास चिपती ही है, जिसमें वादी पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से रिहायसी मकान बनाकर सपरिवार निवास करता है, तथा वादी ने अपने रिहायसी मकान में वर्ष 2002 में बिजली का कनेक्शन अपने नाम करवा लिया था, विधुत बिल की नकल वाद के साथ पेश है।

वादी का आधार कार्ड, परिवार कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि सभी दस्तावेजात पुराने समय से ही ग्राम सुद्रासन के बने हुये है, इस भूमि के सम्बध में ग्राम पंचायत सुद्रासन ने अनापति प्रमाम पत्र वादी के पक्ष में जारी किया है, जिसमें भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वादी पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से मकान बनाकर इस भूमि में निवास कर रहा है तथा वादी की ही कब्जा सुद भूमि है, ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र की नकल वाद के साथ पेश है।

वादी की उक्त कब्जा सुद भूमि की खातेदारी के पास गैर मुमकिन आबादी व गैर मुमकिन रास्ते का अंकन होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी का अंकन भी गलती से राज्य सरकार के नाम से दर्ज हो गया, जबकि उक्त भूमि पर अबाध रूप से वादी का कब्जा है, वादी इस गलत अंकन की दुरूस्ती करवाकर इस भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाना चाहता है, जिसका की वह कानूनन व जायज हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, तथा अन्दर मयाद है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया, जो शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा संख्या 704 रकबा 0.0800 हैक्टर बारानी उतम वाकै सरहद सुद्रासन का वर्तमान खातेदार का नाम (गलत अंकन) हटाया जाकर का वादी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **21.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **297/2022** दायर दिनाँक **20.07.2022**

वादी		**प्रतिवादी**
1. बुधराज पुत्र सुरजमल, जाति सोनी, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **21.07.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा संख्या 704 रकबा
0.0800 हैक्टर बारानी उतम वाकै सरहद सुद्रासन का वर्तमान खातेदार का नाम (गलत अंकन) हटाया जाकर का वादी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.07.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ[illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner